मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-13

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

बुधवार, दिनांक 02 मार्च, 2005 (फाल्गुन 11, 1926)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.30 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 13 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 134 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 104 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री रामदास उईके, सदस्य ने छिंदवाड़ा जिले के विधानसभा क्षेत्र के जामई अन्तर्गत खाद्य नागरिक आपूर्ति द्वारा संचालित राशन की दुकानों पर खाद्यानों का समय पर उपलब्ध न होने,

(2) श्री हरिशंकर खटीक, सदस्य ने रीवा जिले के मऊगंज शासकीय तालाब का पट्टा पटवारी की मिलीभगत के कारण अन्य व्यक्तियों के नाम किये जाने,

(श्रीमती जमुनादेवी, नेता प्रतिपक्ष ने शून्यकाल के दौरान माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के कर्मचारियों को भा.ज.पा. विधायक श्री जुगुल किशोर बागरी द्वारा धमकाये जाने संबंधी एवं श्री रामलखन शर्मा, सदस्य द्वारा माननीय विधायक श्री जुगुल किशोर बागरी के साथ माध्यमिक शिक्षा मंडल के कर्मचारियों द्वारा मारपीट किये जाने संबंधी दिए गये प्रस्ताव पर चर्चा कराने की मांग की गई। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा इस मामले में सदन में चर्चा कराने का आश्वासन दिया गया)

(3) श्री बृजेन्द्र तिवारी, सदस्य ने ग्वालियर जिले के जनपद क्षेत्र में जल संकट उत्पन्न होने,

(4) श्री विक्रम सिंह उर्फ नातीराजा, सदस्य ने छतरपुर राजनगर शहर छतरपुर मार्ग के मध्य पुल का निर्माण कराये जाने,

(5) श्री वंशमणि प्रसाद वर्मा, सदस्य ने सीधी जिले के शिक्षा गारंटी शालाओं में गुरुजी की नियुक्ति के प्रकरण लंबित होने से छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित होने,

(6) श्री मधुकर हर्णे, सदस्य ने होशंगाबाद जिले में नहरों के रख रखाव के संबंध में,

(7) श्री मारोतराव खवसे, सदस्य ने पांढुर्ना विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों का अभाव होने,

(8) श्री सोबरन सिंह (बाबूजी), सदस्य ने जबलपुर जिले के शाजापुर विकासखंड के अंतर्गत ग्राम शाजापुर एवं मनकेडी नटवार में हाई स्कूल न खोले जाने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत कीं।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री कैलाश चावला, वाणिज्यिक कर मंत्री ने -

(क) मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 80 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक ए-5-5-2003-विक-पांच (21), दिनांक 2 दिसम्बर, 2004, तथा

(ख) मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा (20) की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं -

(1) क्रमांक ए-3-17-2003-विक-पांच (38), दिनांक 9 जून, 2003 एवं

(2) क्रमांक ए-3-17-2003-विक-पांच (39), दिनांक 9 जून, 2003

पटल पर रखे।

4. ध्यानाकर्षण

(1) श्री गजराज सिंह सिकरवार, श्री बृजेन्द्र तिवारी, सदस्य ने चंबल संभाग के विभिन्न जिलों में चंबल घाटी के क्षरण से उपजाऊ जमीन बीहड़ में बदलने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री गोपाल भार्गव, कृषि मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने श्योपुर जिले में कार्यरत शिक्षाकर्मियों को लंबित वेतन का भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

डॉ. ढाल सिंह बिसेन, स्कूल शिक्षा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

5. प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के छठवें प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं पारण

श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का छठवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि -

शुक्रवार, दिनांक 4 मार्च, 2005 को चर्चा के लिये आने वाले गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया तथा निम्नलिखित समय अशासकीय विधेयक के पुर:स्थापन एवं अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिये समय निर्धारित करने की सिफारिश की है।

	अशासकीय विधेयक	निर्धारित समय
	मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम-स्वाराज (संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 16 सन् 2004) का पुर:स्थापन भारसाधक सदस्य श्री सत्यदेव कटारे	15 मिनट

अशासकीय संकल्प

1. (क्रमांक-7)	श्री निशिथ पटेल	35 मिनट
2. (क्रमांक-3)	श्री अखण्ड प्रताप सिंह	50 मिनट
3. (क्रमांक-(2,32)	श्री नारायण त्रिपाठी, डॉ. गोविन्द सिंह	50 मिनट

श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि -

"सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के छठवें प्रतिवेदन से सहमत है.".

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री रामदास उइके, सदस्य की छिन्दवाड़ा जिले के -

(क) ग्राम पर्राडोल व रोहनाढ़ाना के मध्य नदी पर रपटा बनाये जाने,

(ख) ग्राम भुताई से सटोटी तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,

(ग) जुन्नारदेव नगर में व्यवहार न्यायालय खोले जाने,

(घ) जुन्नारदेव नगर में आई.टी.आई. खोले जाने,

(ङ) ग्राम मैनीखापा में कन्या माध्यमिक शाला खोले जाने,

(च) ग्राम घाना उमरी में बालक छात्रावास खोले जाने,

(छ) ग्राम सांवरी बाजार में कन्या छात्रावास खोले जाने,

(ज) ग्राम घाना उमरी के पास भैंसाई नदी पर बांध बनाये जाने, तथा

(झ) भोपाल शहर के अन्त्योदय नगर,लाला लाजपत राय कालोनी एवं दिलकुशाबाग कालोनी में सड़क निर्माण कराये जाने,

(2) श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य की सतना जिले के -

(क) ग्राम हिनौती में हैण्ड पम्प लगाये जाने,

(ख) ग्राम हिनौती में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,

(ग) बड़वार-टेगना मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,

(घ) ग्राम हिनौती में आयुर्वेद औषधालय का भवन बनाये जाने,

(ङ) ग्राम जिगना से हिनौती तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने, तथा

(च) ग्राम जुड़मानी में आयुर्वेद औषधालय खोले जाने,

(3) श्री फूलचन्द वैदिया, सदस्य की शाजापुर जिले के नलखेड़ा नगर में उप कोषालय खोले जाने,

(4) श्री मधुकर हर्णे, सदस्य की होशंगाबाद जिले के -

(क) नगर पंचायत सोहागपुर को नगर पालिका का दर्जा दिलाये जाने,

(ख) सोहागपुर नगर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,

(ग) ग्राम रैसलपुर स्थित माध्यमिक विद्यालय का उन्नयन कराये जाने,

(घ) ग्राम ब्यावरा के स्कूल से रेलवे क्रासिंग तक देश मोहनी पहुंच मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,

(ङ) ग्राम रैसलपुर सड़क मार्ग का डामरीकरण कराकर राष्ट्रीय राजमार्ग-69 से जोड़े जाने,

(च) ग्राम कुलामड़ी से आई.टी.आई. होशंगाबाद तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,

(छ) ग्राम रायपुर से होशंगाबाद नगर तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,

(ज) ग्राम चन्द्रपुरा से मुख्यमार्ग तक सड़क बनाये जाने, तथा

(झ) ग्राम निटाया से राष्ट्रीय राजमार्ग-69 तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,

(5) श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य की मुरैना जिले के -

(क) ग्राम भैसरोली की नहर रोड का डामरीकरण कराये जाने,

(ख) ग्राम नहरावली को क्वारी नदी के कटाव से रोकने हेतु दीवार बनाये जाने,

(ग) ग्राम मोरे का पुरा में कांक्रीट रोड, फर्शीकरण एवं नाली निर्माण कराये जाने, तथा

(घ) ग्राम बागचीनी से बरौली तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,

(6) श्री नानालाल पाटीदार, सदस्य की मन्दसौर जिले के -

(क) ग्राम साकतली में हाई स्कूल खोले जाने, तथा

(ख) ग्राम चिरमोलिया में माध्यमिक शाला खोले जाने ; तथा

(7) श्री विक्रम सिंह उर्फ नातीराजा, सदस्य की छतरपुर जिले के -

(क) ग्राम पीरा से खुजराहो मुख्य मार्ग तक पहुंच मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,

(ख) ग्राम रनगुवां स्थित हाई स्कूल का उन्नयन कराये जाने,

(ग) ग्राम गंज में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,

(घ) मुख्य मार्ग पन्ना नाका से क्रिश्चियन अस्पताल तक सड़क का चौड़ीकरण कराने एवं डिवाइडर बनाये जाने,

(ङ) ग्राम ब्रजपुरा में हाई स्कूल खोले जाने, तथा

(च) राजनगर पहुंच मार्ग के खलला नाले पर पुल बनाये जाने,

संबंधी याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गई।

7. वर्ष 2005-2006 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

(1) स्कूल शिक्षा विभाग की अनुदानों की मांगों पर पुनर्ग्रहीत चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

श्री इन्द्रजीत कुमार, सदस्य ने अपना भाषण पूर्ण किया।

(1) श्रीमती सुधा जैन
(2) श्री रामलखन शर्मा
(3) कुंवर विजय बहादुर सिंह बुन्देला
(4) श्री निशिथ पटेल (भाषण अपूर्ण)

(चर्चा अपूर्ण)

8. सूचना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि विधान सभा परिसर स्थित आडिटोरियम में आज भोजनावकाश के समय परमहंस स्वामी निरंजनानंद सरस्वती, परमाचार्य, बिहार योग विद्यालय, मुंगेर का योग साधना से स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं के निदान हेतु मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया है।

माननीय सदस्यों एवं पत्रकारों से अनुरोध है कि उक्त कार्यक्रम में उपस्थित होने का कष्ट करें।

(1.00 से 3.00 बजे तक अंतराल)

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

9. वर्ष 2005-2006 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

श्री निशिथ पटेल, सदस्य ने अपना भाषण पूर्ण किया।

(4) श्री मारोतराव खवसे
(5) श्री बाबूलाल महाजन
(6) श्री दिलीप सिंह परिहार
(7) श्री जालम सिंह पटेल
(8) श्री आरिफ अकील
(9) श्री लाखन सिंह बघेल

(10) श्रीमती सरोज बच्चन नायक

(11) श्री वंशमणि प्रसाद वर्मा

(12) श्री बृजमोहन धूत

डॉ. ढाल सिंह बिसेन, स्कूल शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) श्री गोपाल भार्गव, कृषि मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

अनुदान संख्या - 13	कृषि के लिए तीन सौ करोड़, अड़तालीस लाख, तिरानवे हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 17	सहकारिता के लिए सतहत्तर करोड़, बयालीस लाख, छियालीस हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 52	कृषि विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए तीन करोड़, सतावन लाख, तिरसठ हजार रूपये, तथा
अनुदान संख्या - 54	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा के लिए इकतालीस करोड़, सतासी लाख, छब्बीस हजार रूपये,

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	**कटौती प्रस्ताव क्रमांक**
मांग संख्या - 13	2,4,6,7,8
मांग संख्या - 17	4,5
मांग संख्या - 52	1
मांग संख्या - 54	4

मांगों और कटौती प्रस्ताव पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) डॉ. गोविन्द सिंह

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

(2) श्री दुर्गालाल विजय

सभापति महोदया (श्रीमती सुधा जैन) पीठासीन हुई.

(3) श्री आरिफ अकील

(4) श्री गोविन्द सिंह पटेल

(5) श्री रामलखन शर्मा

(6) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर

सभापति महोदय (डॉ. नरोत्तम मिश्रा) पीठासीन हुए.

(7) श्री बहादुर सिंह चौहान

(8) श्री ध्रुव प्रताप सिंह

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(9) श्री नानालाल पाटीदार

(10) श्री शंकर लाल तिवारी

(11) श्री बृजमोहन धूत

(12) श्री शान्तिलाल धवाई

(13) श्री वंशमणि प्रसाद वर्मा

(14) श्री मनोज निर्भय सिंह पटेल

श्री गोपाल भार्गव, कृषि मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

7.40 बजे विधानसभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 03 मार्च, 2005 (फाल्गुन 12, 1926) के पूर्वान्ह 10.30 बजे तक के लिये स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.